मथुरा पुलिस

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक - 25.11.2025 **OPERATION CONVICTION** **थाना वृन्दावन।**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना वृन्दावन जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 332/2023 धारा 376 आईपीसी व 5M/6 पोक्सो एक्ट में आज दिनांक 25.11.2025 को **माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट** जनपद मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कन्हैया पुत्र गुमान अहिरवार निवासी ग्राम निपान थाना गरौठा जनपद झांसी हाल पता रामनगर कालोनी कस्बा व थाना वृन्दावन जनपद मथुरा को **आजीवन कारावास एवं 20,000/- रूपये** के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

घटना क्रम--- दिनांक 22.07.2023 को थाना वृन्दावन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 332/2023 धारा 376 आईपीसी व 5M/6 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त कन्हैया पुत्र गुमान अहिरवार निवासी ग्राम निपान थाना गरौठा जनपद झांसी हाल पता रामनगर कालोनी कस्बा व थाना वृन्दावन जनपद मथुरा द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किये जाने की जघन्य घटना कारित की गयी थी। इस जघन्य अपराध में भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

श्रीमती अल्का शर्मा
ADGC, मथुरा

निरीक्षक श्री भोजराज अवस्थी (विवेचक)

पैरोकार/है0का0 हिमांशु, थाना वृन्दावन मथुरा